



जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

ग्राम - मदाऊ, पोस्ट - भांकरोटा, जयपुर, (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrsanskrituniversity.ac.in ई-मेल - jrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141 - 5132022

क्रमांक : प (274)जरारासंवि/शैक्ष./2025/

दिनांक :

कार्यालय आदेश

सत्र 2025-26 के लिए PGDCA संचालन बाबत अस्थाई सम्बद्धता में अभिवृद्धि/नवीन सम्बद्धता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(2)(क) के अनुसार महाविद्यालयों की सम्बद्धता के आवेदनों का निपटारा करने हेतु दिनांक 18.09.2025 को आयोजित निरीक्षण बोर्ड एवं सम्बद्धता समिति की संयुक्त बैठक के निर्णयानुसार जिन महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में बैठाये उन समस्त महाविद्यालयों से शास्ति जमा होने की पुष्टि संबंधित विभाग से प्राप्त होने के बाद ही सम्बद्धता जारी की जावे।

विश्वविद्यालय के पत्रांक प(16)PGDCA-PGDYT/जरारासंवि/परी0आयो0/2025/254 दिनांक 09.06.2025, 258 दिनांक 09.06.2025, 903 दिनांक 11.09.2025, 904 दिनांक 11.09.2025 द्वारा शास्ति जमा करवाये जाने बाबत निर्देशित किया गया था। परीक्षा अनुभाग से प्राप्त सूचनानुसार अधोलिखित महाविद्यालयों द्वारा आदिनांक तक भी शास्ति जमा नहीं करवाये जाने के कारण सत्र 2025-26 की अस्थायी सम्बद्धता जारी नहीं की जा रही है:-

S. No	College_Name	Remarks
1	SHRI RISHIKUL BHARMCHARYASHARM ACHARYA SANSKRIT COLLEGE, LAXMANGARH	New Affiliation
2	S S YOGA COLLEGE, VATIKA ROAD, TUNTOLY, JAIPUR	Affiliation Extension

अतः अविलम्ब शास्ति जमा करवाया जाना सुनिश्चित करावे ताकि आपको सत्र 2025-26 की अस्थायी सम्बद्धता जारी की जा सकें।

कुलसचिव

क्रमांक : प (274)जरारासंवि/शैक्ष./2025/3739-46
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

दिनांक : 27/10/25

1. निजी सचिव, कुलपति महोदय, जरारासंवि, जयपुर
2. निजी सहायक, कुलसचिव, जरारासंवि, जयपुर
3. परीक्षा नियंत्रक, जरारासंवि, जयपुर
4. सहायक कुलसचिव, बैठक शाखा, जरारासंवि, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत करावे।
5. प्रभारी वेबसाईट, जरारासंवि, जयपुर को भेजकर लेख है कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करावे।
6. अनुबंधित फर्म को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश में उल्लेखित महाविद्यालयों को ईमेल करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
7. संबंधित महाविद्यालय
8. रक्षित पत्रावली

कुलसचिव